कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग उज्जैन म.प्र.

क्रमांक./स्था.–1/मा.शि./2023/204 उज्जैन, दिनांक 30/03/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 29.9.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिकसंवर्ग) अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर **हिन्दी विषय** में नियुक्त किया जाता है–

2/

SN	NAME	Father's Name	Address	ROLL NO..	RANK	Cate gory	selected CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	SHREE NATH DANGI	BAPU LAL DANGI	0 BAG WALA MOHALLA DOLA DOLA POST DOLA PIRAWA JHALAWAR RAJASTHAN 326513	85124931	95	UR	UR/X/OP	DISE-23510203208 GOVT. HS BHAISODA	AGAR MALWA
2	NARENDRA KUMAR	MOHAN LAL	WARD NO 16 KHAIRABAD JAMA MASJID KE PASS RAMGANJMANDI KOTA RAJASTHAN 326529	85127240	109	UR	UR/X/OP	DISE-23200109104 GOVT. HS BHEEM	RATLAM
3	JYOTI AUDICHYA	GOPAL KRISHNA SHARMA	0 SAKET, CHOTH MATA COLONY WARD NO 01 BEGUN CHITTORGARH RAJASTHAN 312023	85027519	111	UR	UR/X/OP	DISE-23180305407 GOVT HSS JAT	NEEMUCH
4	MAHENDRA PRAJAPAT	HEERA LAL PRAJAPAT	241 BINOTA BINOTA NIMBAHERA CHITTORGARH RAJASTHAN 312614	85027809	132	UR	UR/X/OP	DISE-23180318806 GOVT HS BAWAL	NEEMUCH
5	PREETAM TELI	ROSHAN LAL	288 MANAK CHOWK KANERA TEH NIMBAHERA CHITTORGARH RAJASTHAN 312606	85027647	148	UR	UR/X/OP	DISE-23180707009 GOVT HSS PALSODA	NEEMUCH
6	KAVITA KUMARI	RAM SWAROOP	VILL ISHWARPURA POST KAMALPURA TEH RAMGANJMANDI RAMGANJMANDI KOTA RAJASTHAN 326517	84915895	149	UR	UR/X/OP	DISE-23200305609 GOVT. HSS SARSI	RATLAM
7	NEELOFAR KHAN	ABDUL SALAM	H NO E, 9, 10 BALAKUND KESHAVPURA LADPURA KOTA RAJASTHAN 324009	85036772	211	UR	UR/X/OP	DISE-23180500505 GOVT HSS BESLA	NEEMUCH
8	KIRAN SHARMA	HARISH SHARMA	342 KALIDAS MARG JUNA BAZAR NEEMUCH CITY NEEMUCH NEM MADHYA PRADESH 458441	85021623	301	UR	UR/X/F	DISE-23180512109 GOVT HSS ANTRI	NEEMUCH
9	BEENA SHARMA	GAJENDRA KUMAR	0 VILLAGE GURADIYA DEDA DORIYA MOHALLA MANDSAUR MND MADHYA PRADESH 458002	85018177	467	UR	UR/X/F	DISE-23200106734 GOVT. HSS ECELLENCE ALOT	RATLAM
10	HARSHITA SHARMA	SATYA NARAYAN SHARMA	117 WARD NO 08 LODKIYA LODKIYA POST - DEVARI KHAWASA MANASA NEM MADHYA PRADESH 458113	85022273	483	EWS	UR/X/F	DISE-23180507305 GOVT HSS KUNDLA	NEEMUCH

11	KALPANA RATHORE	SURESH CHANDRA RATHORE	0 RAM MALIPURA AGAR MALWA RAM MALIPURA AGAR MALWA AGAR MALWA AGM MADHYA PRADESH 465441	85110915	511	OBC	OBC/X/F	DISE-23510804310 GOVT. HSS MODEL AGAR	AGAR MALWA
12	KHUSHBOO SHARMA	KAILASH CHAND UPADHYAY	BAGICHA NO 05 NEEMUCH RAJIV NAGAR KE PASS NEEMUCH NEEMUCH NEM MADHYA PRADESH 458441	85027372	557	EWS	EWS/X/F	DISE-23190806607 MS.LADUNA	MANDSAUR
13	SURESH KUMAR	MOTILAL	302 WARD NO 20 BARAI POST DONGARGAON SUSNER AGM MADHYA PRADESH 465449	85110615	687	OBC	GF/OBC/X/OP	DISE-23510804310 GOVT. HSS MODEL AGAR	AGAR MALWA
14	LALITA GAYRI	MANGILAL	KARADIYA MAHARAJ NEEMUCH NEEMUCH JEERAN NEM MADHYA PRADESH 458441	85022303	697	OBC	OBC/X/F	DISE-23180514940 GOVT HSS MODEL MANASA	NEEMUCH
15	DEVKANYA	MANGILAL	VILLAGE KHAJURI ANJANA POST JHAWAL TEHSIL MANDSAUR MANDSAUR MND MADHYA PRADESH 458895	85013704	718	OBC	OBC/X/F	DISE-23220711814 GOVT. H.S.E.EXCELL SHARDA SHUJALPUR	SHAJAPUR
16	NIRMAL	SHIV SINGH	101 TURKIYA DORWADA MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85018440	771	OBC	OBC/X/F	DISE-23220711814 GOVT. H.S.E.EXCELL SHARDA SHUJALPUR	SHAJAPUR
17	MAMTA GUPTA	OM PRAKASH SETHIYA	WARD NO 3 JAIN MANDIR RANIPURA ALOTE ALOTE RAT MADHYA PRADESH 457114	85031237	924	EWS	GF/UR/X/F	DISE-23200114702 GOVT. HS THAMB GURADIYA	RATLAM
18	CHANDA	JAGDISH BAIRAGI	PURANE THANE KE PASS NEEM CHOWK JEERAN NEEMUCH NEM MADHYA PRADESH 458336	85021513	1280	OBC	GFOBC/X/F	DISE-23200604541 GHSS MODEL (RMSA) SAILANA	RATLAM
19	HEMLATA PATEL	BHAGWANSINGH PATEL	BAJRANG CHOWK GOLWA POST KANASIYA TARANA UJJ MADHYA PRADESH 456770	84916041	1372	OBC	GFOBC/X/F	DISE-23220707720 GOVT. H.S.S AKODIYA MANDI	SHAJAPUR
20	AKRAM ALI SAYYAD	SHABEER ALI SAYYAD	09 BUDHA BUDHA MALHARGARH MND MADHYA PRADESH 458556	85014175	1790	UR	UR/OH/OP	DISE-23180505012 GOVT HSS MAHAGARH	NEEMUCH
21	KAMLESH KUMAR	BADRILAL	95 WARD NO. 06 BANI BANI SHAMGARH MND MADHYA PRADESH 458888	85013836	2134	OBC	OBC/OH/OP	DISE-23190103011 GOVT. HS NAVLI	MANDSAUR
22	SHAUKAT ALI MANSURI	GUL MOHAMMAD MANSURI	WARD NO 8 BADI HOLI CHOWK CHEETAKHEDA JEERAN NEM MADHYA PRADESH 458441	85022025	2562	OBC	OBC/OH/OP	DISE-23180711504 GOVT HS CHALDU	NEEMUCH
23	KISHOR KUMAR CHOUDHARY	PRABHULAL	07 KHATRUKHEDI POST KHEJDIYA SITAMAU MND MADHYA PRADESH 458990	85013516	3020	SC	GF/SC/X/OP	DISE-23200304310 GOVT. HSS RINGNOD	RATLAM
24	VISHAKHA	RAM NARAYAN	48 CHHAYAN POST LADUSA MANDSAUR MND MADHYA PRADESH 458667	85013713	3602	SC	SC/X/F	DISE-23180510509 GOVT HSS CHACHOR	NEEMUCH

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 9300–34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800–103600 के न्यूनतम वेतन रुपये 32800/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस, इ–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें, ऐसा करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार हैः–

I. नियुक्ति आदेश
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र **(परिशिष्ट–1)**
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड **(परिशिष्ट–2A एवं 2B)**

7/ उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीपः— 1. माननीय उच्च न्यायालय में शाला विकल्प चयन के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के आधार पर संबंधितों के इस आदेश से जारी पदस्थापना विभाग एवं शाला में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय /शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(रवीन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,संभाग उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 30/03/2023

पृ. कमांक./स्था.–1/मा.शि./2023/265

प्रतिलिपिः–

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र।
7. समस्त कलेक्टर, संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, संभाग उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता /पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, संभाग उज्जैन म.प्र।
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से **15** दिवसों के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,संभाग उज्जैन

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप</u>

मैं..विभाग में.........................शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

(1) मैं..........................पुत्र/पुत्रीश्री.......................निवासीग्राम/कस्वा/शहर.............जिला......... .मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं..........जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

(2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक......................

हस्ताक्षर......................

नाम..........................

रोल नम्बर..................

परिशिष्ट- दो(A)

:: शपथ पत्र::

फोटो

मैं.......................................आयु..............पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी..
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं-

1. यह कि मेरा चयन...पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है ।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
11. मैं अविवाहित हूँ / मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह नहीं किया है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता...सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णत: सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक.................. को स्थान .... में किया गया है।

शपथग्रहिता

परिशिष्ट- दो(B)

:: शपथ पत्र::

1. मेरी नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग में .... पद पर हुई है, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त पद पर वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियोजन प्रक्रिया अन्तर्गत पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता..सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णत: सत्य एवं सही है, जिनका आज दिनांक.............. को................ में किया गया है।

शपथग्रहिता